

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाग

(नियम 26)

आरिफ बनाम आसीफ व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या 76 वर्ष 2019

नम्बर व तारीख  
अहकाग जो इस हुक्म  
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता स्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।


अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 16.09.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा बन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 307/1.48, 320/0.

41, 322/0.44, 323/0.44, 324/0.88, 325/0.90, 325/459/0.01, 416/0.18, 170/0.11 है0 वाके ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी


तिथि तक विवादित भूमि में रहन, बय ना करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता

हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश

स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

02/22 पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता (350) वादी का वाद वादी के कार्यवाही पर क्वारिज से चुकाई काठे: मुह प्रार्थना पत्र में 2019 के तिजारा जिला पत्रावली संख्या 76 वाद तहसील तिजारा जिला अलवर

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)